रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2187] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936
No. 2187] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का. आ 2738 (अ).——यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 865 (अ), तारीख 01.04.2013 द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 का 175.000 कि.मी. से 256.900 कि.मी. (काशीपुर–सितारगंज सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, धारा 14 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर 175.000 कि.मी. से 252.200 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 256.900) तक काशीपुर–सितारगंज सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) चार लेन के स्टैंडर्ड में विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 18.10.2012 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु मैसर्स काशीपुर–सितारगंज हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 16वां तल, टावर ए, बिल्डिंग नं0 5, साइबर टैरेस, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव–122002, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 10.01.2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, के नियम 3 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निर्वल लम्बाई 63.550 कि.मी. के लिए उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा दस करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले 13.650 कि.मी. लम्बाई वाले बाइपास के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथा–विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

4223 GI/2014

Scanned by CamScanner

सारणी –1

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5	भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्‌ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए सड़क खण्ड की विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है :
उधम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रा रा–74 पर 222.500 कि.मी. पर (विद्यमान 222.350 कि.मी.)	63.550

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन (विद्यमान) चैनेज		बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	प्रारम्भ	विलयन		
उधम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रा रा–74 पर 222.500 कि.मी. (विद्यमान 222.350 कि.मी.) पर	177.900 (178.850)	179.900 (179.850)	2.000	दोराहा बाइपास
उधम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रा रा–74 पर 222.500 कि.मी. (विद्यमान 222.350 कि.मी.) पर	185.000 (185.000)	187.850 (185.350)	2.850	केलखेड़ा बाइपास
उधम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रा रा–74 पर 222.500 कि.मी. (विद्यमान 222.350 कि.मी.) पर	191.400 (193.000)	200.200 (197.000)	8.800	गदरपुर बाइपास

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

Scanned by CamScanner

६. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे नियमों के अधीन अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति का अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष करवाने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाषित करवाया जाएगा। तत्पष्चात्, उसमें उक्त नियमों के नियम 5 और रियायतकरार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा प्रकाषित किया जाएगा। परन्तु, शर्त यह है कि शुल्क में पूर्ववर्ती संषोधन की तारीख से (छह) महीने की अवधि तक कोई संषोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भारराप्रा / 13—14 / सीओ / जीसी (काषीपुर—सितारगंज)]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1564]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938
No. 1564]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASADHA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

का.आ. 2181(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 एवं सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 2738 (अ), तारीख 21.10.2014 द्वारा मैसर्स काशीपुर–सितारगंज हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर 175.000 कि.मी. से 252.200 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 256.900) तक काशीपुर–सितारगंज सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का राराविप–IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर चार लेन में विकास करने एवं उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था;

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 तथा सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा का.आ. अधिसूचना का.आ. 2738 (अ), तारीख 21.10.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:

टिप्पणियों के पैरा 1 और 2 के अधीन सारणी में टोल प्लाजा के अवस्थान (चैनेज) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:

विद्यमान के स्थान पर	निम्नलिखित प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा
उद्यम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रारा–74 पर 222.500 कि.मी. पर (विद्यमान 22.350 कि.मी.)	उद्यम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रारा–74 पर 222.270 कि.मी. पर (विद्यमान 222.120 कि.मी.)

[फा.सं. भारारापा/13–14/सीओ/जीसी (काशीपुर–सितारगंज)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner